

परिशिष्ट सारणी 14: राज्यों के योजनेतर गैर विकास व्यय

(राशि करोड़ रुपये में)

मद	2008-09 (लेखा)	2009-10 (संशोधित अनुमान)	2010-11 (बजट अनुमान)
1	2	3	4
I. योजनेतर गैर विकास राजस्व व्यय (1 से 6)	2,46,399 (9.9)	3,11,756 (26.5)	3,46,082 (11.0)
1. राज्यों के अंग	6,378 (26.0)	9,521 (49.3)	9,065 (-4.8)
2. राजकोषीय सेवाएँ	9,563 (17.0)	12,384 (29.5)	13,230 (6.8)
3. ब्याज भुगतान और ऋण की चुकौती	1,09,393 (2.3)	1,24,756 (14.0)	1,40,460 (12.6)
जिसमें से:			
ब्याज भुगतान	1,02,955 (3.1)	1,15,904 (12.6)	1,28,656 (11.0)
जिसमें से:			
केंद्र से ऋण पर ब्याज	11,090 (-6.0)	11,357 (2.4)	10,883 (-4.2)
4. प्रशासनिक सेवाएं	50,534 (19.3)	68,157 (34.9)	80,245 (17.7)
5. पेंशन	65,440 (16.7)	87,242 (33.3)	94,961 (8.8)
6. विविध सामान्य सेवाएं	5,090 (-8.2)	9,696 (90.5)	8,121 (-16.2)
II. योजनेतर गैर विकास पूंजी संवितरण (1 + 2)*	1,667 (-37.9)	1,432 (-14.1)	3,160 (120.8)
1. योजनेतर गैर विकास पूंजी परिव्यय	999 (-49.3)	919 (-8.0)	2,637 (187.0)
2. राज्यों द्वारा योजनेतर गैर विकास ऋण और अग्रिम	668 (-6.3)	513 (-23.3)	523 (2.1)
III. कुल योजनेतर गैर विकास व्यय	2,48,066 (9.4)	3,13,187 (26.3)	3,49,243 (11.5)

* : केंद्र को ऋण की चुकौती और आंतरिक ऋण का उन्मोचन शामिल नहीं है।

नोट : 1. कोष्ठकों के आंकड़े पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत घटबढ़ हैं।

2. वर्ष 2008-09 (लेखा) के लिए जम्मू और कश्मीर तथा झारखंड के आंकड़े संशोधित अनुमानों से संबंधित हैं।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज़।